

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-7/स्थानांतरण/हिन्दी/2018 दिनांक-18.06.18 के द्वारा श्री रामावतार शर्मा, व्याख्याता हिन्दी राउमावि देवली-उनियारा, टोंक का स्थानांतरण राउमावि सालगरामपुरा, जयपुर किया गया था। श्री शर्मा तत्समय परीक्षाधीन अवधि में होने के कारण स्थानांतरण में अंकित शर्त के तहत सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा उन्हें उक्त स्थानांतरण पर कार्यमुक्त नहीं किया गया।

श्री रामावतार शर्मा द्वारा उन्हें स्थानांतरण आदेश दिनांक-18.06.18 के तहत कार्यमुक्त नहीं करने के विरुद्ध माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं. 866/2019 दायर की गई। माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक-10.06.19 को प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक-18.06.18 के तहत कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाने के निर्देश प्रदान किये गये।

अतः माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक-10.06.19 के क्रम में श्री रामावतार शर्मा, व्याख्याता हिन्दी को राउमावि सालगरामपुरा जयपुर में व्याख्याता हिन्दी के पद पर समायोजित किया जाता है, एवं श्री पीयूष कुमार शर्मा, व्या० हिन्दी राउमावि सालगरामपुरा, जयपुर का समायोजन उनकी स्वयं की प्रार्थना के आधार पर राउमावि चौड़ागांव-सपोटरा, करौली में व्याख्याता हिन्दी के रिक्त पद पर किया जाता है।



(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/कोके/अपील सं. 866/2019/रामावतार/ दिनांक - 19-8-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर
- 2 संबन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर/करौली
- 3 संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी, विधि, जयपुर
- 5 संबन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 6 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक-बी-3/29920/ए/19 के क्रम में
- 7 संबन्धित प्रधानाचार्य, / संबन्धित कार्मिक
- 8 निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर